XIV-Form No. 563.

आदेश की कम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

समाहर्त्ता, पूर्णियाँ का न्यायालय

विविध वाद सं0 54/10 (अनुमति आवेदन पत्र)

(धारा 49 (जी0) वी0टी0 एक्ट अंतर्गत)

मुन्नी देवी, पति स्व0 वसंत उराँव,
सा0–सिंधिया उराँव टोला, थाना–सदर, जिला–पूर्णियाँ........................आवेदिका

आ दे श

यह राजस्व विविध वाद आवेदिका द्वारा अपने पति के ईलाज कराने एवं श्राद्ध कर्म करने में लिए गये कर्ज चुकाने हेतु बिहार कास्तकारी अधिनियम की धारा 49 (जी0) के अन्तर्गत जमीन बिक्री करने हेतु अनुमति के लिए दायर किया गया है।

इस संबंध में विद्वान अंचल अधिकारी, पूर्णियाँ पूर्व से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई। विद्वान अंचल अधिकारी, पूर्णियाँ पूर्व ने अपने पत्रांक 2133, दिनांक 20.20.12.2010 द्वारा प्रतिवेदित किये है कि आवेदिका के स्व0 ससुर एवं ददिया ससुर के नाम से निम्न वर्णित भूमि है जो निम्न प्रकार है :–

मौजा	थाना नं0	खाता	खेसरा	रकवा
हाँसदा	240	170		0.11
			129	0.11
			131	0.74
			134	0.74.7कडी
			940	0.08
			127	0.52
			110	0.30
			78	0.55
			84	0.22
			85	2.35.7कडी
		171	111	0.67
			112	0.79
			कुल –	1.46
		186	130	1.12
		185	136	0.13
				4.06.7कडी

बिक्री की जाने वाली जमीन का ब्यौरा :–

मौजा	थाना नं0	खाता	खेसरा	रकवा
हाँसदा	240	171	112	0.16.8कडी

XIV-Form No. 563.

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	प्रश्नगत जमीन विक्री के पश्चात् आवेदिका के पास कुल 3.90 डी0 जमीन बच जाता है, जिससे वे भूमिहीन के श्रेणी में नहीं आते है। उक्त धारित जमीन में आवेदिका के स्व0 पति का हिस्सा रकवा 2.03 डी0 जमीन होता है जो आवेदिका के दखल कब्जा में है। प्रश्नगत जमीन भूदान, भू–हदबन्दी, स्वामित्ववाद एवं सैरात से मुक्त है। अंचल अधिकारी ने प्रश्नगत जमीन बिक्री करने की अनुशंसा की है। विद्वान अंचल अधिकारी, पूर्णियाँ पूर्व के प्रतिवेदन एवं आवेदिका के आवेदन के आलोक में धारा 49(जी0) बी0टी0एक्ट के तहत आवेदिका के अनुरोध को स्वीकृति प्रदान करते हुए जमीन ब्रिकी करने की अनुमति प्रदान की जाती है। इस निर्णय के साथ ही इस वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। समाहर्त्ता, पूर्णियाँ लेखापित एवं संशोधित । समाहर्त्ता, पूर्णियाँ	